प्रेषक,

आयुक्त स्टाम्प / अपर सचिव राजस्व परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
शिविर- लखनऊ

सेवा में,

समस्त उप सहायक आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-734/शि0का0लख0/2000 दिनांक 1-2-2000

महोदय,

शासन द्वारा स्टाम्प वादों की समीक्षा बैठक दिनांक 21-1-2000 एवं दिनांक 29-1-2000 में यह निर्देश दिये गए है कि स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत उप/ सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा जो वाद निस्तारित किए गए है उनकी संख्या लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम है। वर्तमान समय में प्रदेश में सत्तर हजार से भी ज्यादा वाद स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत अवशेष हैं। विभागीय अधिकारी होने के वावजूद उप/ सहायक आयुक्त स्टाम्प का उक्त निस्तारण मानक के अनुरूप नही है। इससे शासन एवं विभाग की छबि भी धूमिल हो रही है तथा उप/ सहायक आयुक्त स्टाम्प के पदों के सृजन के औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गया है ।

शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जनवरी 2000 से सघन अभियान चलाते हुए प्रत्येक उप/ सहायक आयुक्त स्टाम्प कम से कम 200 वाद प्रतिमाह निस्तारित करेगें। इस मानक से कम वादों का निस्तारण करने वाले उप/ सहायक आयुक्त स्टाम्प के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश भी शासन द्वारा दिए गए है।

अप्रैल 2000 में शासन स्तर पर पुनः समीक्षा बैठक सम्पन्न होनी है और इस बैठक में स्टाम्प वादों के निस्तारण की स्थिति की जिलेवार समीक्षा भी की जायेगी।

अतः समस्त उप/ सहायक आयुक्त स्टाम्प को सचेत किया जाता है कि वे लम्बित स्टाम्प वादों के निस्तारण पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित न्यूनतम मानक को अवश्य पूरा कर ले अन्यथा उनकी तथा विभाग की स्थिति असमंजस पूर्ण हो सकती है जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व संबंधित उप/ सहायक आयुक्त स्टाम्प का होगा।

बी0एम0 मीना
अपर सचिव राजस्व परिषद
आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश, शिविर, लखनऊ।

संख्या 734(1-2)/शि0का0लख0/2000 दिनांक 1-2-2000

1- प्रतिलिपि, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वे कृपया अपनी मासिक समीक्षा बैठक में उप/ सहायक आयुक्त स्टाम्प द्‌वारा वाद निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा करने का कष्ट करें एवं मानक के अनुरूप कार्य न करने वाले स्टाम्प कलेक्टरों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही का प्रस्ताव करें |

2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग को सूचनार्थ |

भवदीय

बी0एन0मीना
अपर सचिव राजस्व परिषद
आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ |